बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–12/2021 6230 **पटना, दिनांक** :– 08/08/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 470 दिनांक 18.05.2023 द्वारा सुश्री आकृति कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03249) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 03.01.2023 से बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। अनुपस्थिति के विरूद्ध इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, परन्तु इनके द्वारा कोई उत्तर उन्हें नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि दूरभाष पर सम्पर्क करने पर इनका फोन बन्द पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि ये एक लापरवाह एवं अनुशासनहीन संविदा कर्मी हैं अथवा ये कार्य करने के इच्छुक नहीं है, अतः इनके सेवा समाप्ति की अनुशंसा की जाती है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4682 दिनांक 02.06.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति इनका संविदा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नैसर्गिक न्याय के तहत पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए इन्हें स्मारित किया गया है। दो बार स्पष्ट निदेश दिए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ये लापरवाही एवं अनुशासनहीन कर्मी हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि दो बार स्पष्ट निदेश दिए जाने के बावजूद भी आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जाना बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करता है। इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जाती रही है, जो एक लापरवाह एवं अनुशासनहीन कर्मी का परिचायक है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट है कि ये कार्य करने की इच्छुक नहीं है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता है, ऐसे कर्मियों के रहते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इनके इस कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर न पड़े इसके दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः **''बिहार सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 के नियम 8(4)''** के आलोक में सुश्री आकृति कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03249) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 8/8/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–12/2021 6230 **पटना, दिनांक** :– 08/08/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री आकृति कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03249), बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
7/8/23

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–12/2021 6230 **पटना, दिनांक** : 08/08/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–12/2021 6230 **पटना, दिनांक** :– 08/08/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित सुश्री आकृति की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 8/8/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप